

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या - 1669, 1670 व 1671 / 2010 / जयपुर

मैसर्स दी सन एन्टरप्राइजेज,
अम्बर टॉवर, संसार चन्द रोड, जयपुर।

.....अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, वृत्त-तृतीय, जयपुर।

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य
श्री अमर सिंह, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन.एस.राठौड़,
उप राजकीय अधिवक्ता

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री राजेन्द्र जैन,
अभिभाषक।

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 20.02.2014

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह तीन अपीलें उपायुक्त (अपील्स-चतुर्थ) वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित पृथक्-पृथक् अपीलीय आदेश दिनांक 02.06.2010 जो क्रमशः अपील संख्या 261, 263 व 262 / अपील-चतुर्थ / 2008-09 के संबंध में है तथा जिनमें वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, वृत्त-तृतीय, जयपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 25, 61 व 55 के तहत पारित पृथक्-पृथक् निर्धारण आदेश दिनांक 19.03.2010 के द्वारा तालिकानुसार कायम मांग राशियों की पुष्टि अपीलीय अधिकारी द्वारा किये जाने को विवादित किया गया है।

— तालिका —

(मांग राशि ₹0 में)

अपील संख्या	निर्धारण व f	अंतर कर	ब्याज	गास्ति
1669 / 2010	2006-07	28,030 / -	10,560 / -	56,060 / -
1670 / 2010	2007-08	64,711 / -	57,572	1,29,422 / -
1671 / 2010	2008-09	83,909 / -	10,512 / -	1,67,818 / -

2. चूंकि तीनों अपील प्रकरणों के तथ्य व विवादित बिन्दु सादृश्य हैं। अतः तीनों प्रकरणों का निर्णय संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक अपील पत्रावली पर पृथक् से रखी जा रही है।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल की जांच एवम् अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा

लगातार.....2

अपील संख्या - 1669, 1670 व 1671 / 2010 / जयपुर


प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच कर यह पाया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विभिन्न कम्पनियों से आयातित इलैक्ट्रिक मोटर्स की राज्य व अन्तर्राज्यीय व्यापार के अनुक्रम में 4 प्रतिशत की कर दर से विक्रय की गयी है। निर्धारण अधिकारी ने उक्त विक्रय को अधिनियम के तहत जारी अनुसूची-V के तहत 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य होना अवधारित कर, इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु व अधिनियम की धारा 25, 61 व 55 के तहत करारोपण की कार्यवाही प्रस्तावित कर, नोटिसेज जारी किये गये। जारी नोटिसेज की पालना में अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से जवाब प्रस्तुत किये गये जिन्हें कर निर्धारण अधिकारी ने अस्वीकार कर, तालिकानुसार अंतर कर, अनुवर्ती ब्याज व अधिनियम की धारा 61 के तहत कर की दोगुना शास्ति आरोपित कर, पृथक-पृथक् निर्धारण आदेश दिनांक 19.01.2009 पारित किये गये। उक्त पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार कर दी गयी। जिनसे व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह तीन अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

4. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।
5. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित निर्धारण आदेश प्रथम दृष्ट्या ही विधिशून्य है। कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी का आलोच्य अवधियों के कर निर्धारण नियमित निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 23/24 के तहत पारित करने के पश्चात्, निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 25 के तहत क्षेत्राधिकार ग्रहण कर, पुनः आलोच्य अवधि के संबंध में निर्धारण आदेश पारित किये गये हैं जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। विशिष्ट रूप से कथन किया कि किसी भी व्यवहारी के एक ही निर्धारण अवधि के दो भिन्न-भिन्न निर्धारण अधिकारी नहीं हो सकते एवम् क्षेत्राधिकार विहित होने के कारण कायम की गयी मांग राशि विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। अपने उक्त तर्क के समर्थन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत (1961) 41 आई.टी.आर. 191 व (1979) 119 आई.टी.आर. 996 (सु.को.) को प्रोद्धरित कर, निर्धारण अधिकारी द्वारा ग्रहण किया गया क्षेत्राधिकार विधिशून्य होने के कारण कायम की गयी मांग राशियां अविधिक एवम् अनुचित हैं।
6. विशिष्ट रूप से कथन किया कि राय परिवर्तन अथवा मत परिवर्तन के आधार पर निर्धारित की गयी आवर्त को पुनः उच्च कर दर से करारोपण करने हेतु पुनः अधिनियम के किन्हीं प्रावधानों के तहत निर्धारण करना विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। अपने उक्त तर्क के समर्थन में निम्न माननीय न्यायालयों के न्यायिक दृष्टांतों को प्रोद्धरित किया गया:-

- (i) (1976) 103 आई.टी.आर. 437 (सु.को.)
- (ii) (1970) 70 आई.टी.आर. 582 (सु.को.)
- (iii) (1974) 97 आई.टी.आर. 239 (सु.को.)
- (iv) (1979) 119 आई.टी.आर. 996 (सु.को.)
- (v) (1980) 46 एस.टी.सी. 256 (सु.को.)
- (vi) (1996) 102 एस.टी.सी. 240 (मध्य प्रदेश उ.न्यायालय)
- (vii) (1976) 103 आई.टी.आर. 437 (सु.को.)

7. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने गुणावगुण पर कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा इलेक्ट्रिक मोटर विनिर्माता क्रेताओं को केपिटल गुड्स के रूप में उनके विनिर्माण प्रक्रिया में उपयोग की मशीनरी हेतु विक्रय किया गया है एवम् इस संबंध में क्रेताओं द्वारा अपीलार्थी को प्रमाण पत्र भी जारी किये गये हैं। अतः अपीलार्थी द्वारा आलौच्य अवधि में की गई इलेक्ट्रिक मोटर्स की विवादित बिक्री पर देय कर वैट अधिनियम की अनुसूची IV की प्रविष्टि संख्या 27 के अनुसार 4 प्रतिशत की दर से उद्ग्रहणीय होगा। इसलिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि की इलेक्ट्रिक मोटर्स की बिक्री पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर देयता मानी जाकर 8.5 प्रतिशत की दर से अन्तर कर व इसकी दुगुनी राशि की शास्ति एवं ब्याज अधिरोपित किया जाना अविधिक एवं अनुचित है। विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि का कहना है कि अपीलार्थी का मूल कर निर्धारण 4 प्रतिशत की दर पर सम्पादित किये जाने के पश्चात कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित अन्तर कर की राशि को बकाया मानते हुए ब्याज का आरोपण विधिसम्मत नहीं होने के कारण कर व अनुवर्ती ब्याज की मांग राशियों को अपास्त कर, उक्त बिन्दुओं पर प्रस्तुत अपीलें स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

8. प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति के संबंध में कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी ने कर योग्य विक्रय के समस्त संव्यवहारों को अपनी नियमित लेखा पुस्तकों में दर्ज कर, सद्भाविक रूप से आलोच्य अवधियों के लिये विवरणियां प्रस्तुत की हैं जिनमें किसी प्रकार की विक्रय की विगत को छुपाया नहीं गया है। चूंकि हस्तगत अपीलों में कर दर का बिन्दु विवादित है एवम् माननीय न्यायालयों द्वारा समान परिस्थितियों में, विक्रय संव्यवहारों के बहीयात में दर्ज होने तथा कर दर विवादित होने की दशा में, शास्ति आरोपण को विधि सम्मत होना नहीं माना गया है। इस संबंध में माननीय न्यायालयों के निम्न न्यायिक दृष्टांतों को प्रोद्धरित किया गया:-





अपील संख्या — 1669, 1670 व 1671 / 2010 / जयपुर

- (i) वाणिज्यिक कर अधिकारी, स्पेशल सर्किल, पाली बनाम् मैसर्स सोजत लाईम कम्पनी, 74 एस.टी.सी.288 (राज.)
- (ii) वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् मैसर्स बारां कॉपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लि. 93 एस.टी.सी. 239 (राज.)
- (iii) सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् मैसर्स कुमावत उद्योग 97 एस.टी.सी. 238 (राज.)
- (iv) वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, उदयपुर बनाम् मैसर्स एल. एन.टी. कोमात्सू लि. उदयपुर, सैल्स टैक्स रिवीजन पिटीशन क्रमांक 226 / 2009 से 229 / 2009 निर्णय दिनांक 29.03.2010 (राज.)
- (v) मैसर्स लार्ड वैकटेश्वरा कैटरर्स बनाम् वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोन-प्रथम, जयपुर 19 टैक्स अपडेट 85(राज.)
- (vi) मैसर्स कृष्णा इलेक्ट्रीकल्स बनाम् स्टेट ऑफ तमिलनाडु व अन्य (2009) 23 वी.एस.टी. 249 (सु.को.)
- (vii) सहायक आयुक्त, उदयपुर बनाम् मैसर्स कॉटेज इण्डस्ट्रीज एक्सपोजिशन लि. (2008) 22 टैक्स अपडेट 289 [आर.टी.बी. (डी.बी.)]
- (viii) मैसर्स ह्यूलेट पेकर्ड इण्डिया सेल्स प्रा.लि. बनाम् सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन जोन द्वितीय, जयपुर-25 टैक्स अपडेट 189[आर.टी.बी.(डी.बी.)]
- (ix) मैसर्स साधवानी ट्रेडर्स, जयपुर बनाम् वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन जोन द्वितीय, जयपुर-7 टैक्स अपडेट 43 [आर.टी.बी. (डी.बी.)]
- (x) मैसर्स रेबेनसन ऑप्टीक्स लि. भिवाडी बनाम् वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-ए, भिवाडी, अपील क्रमांक 1437 / 2009 से 1439 / 2009 / अलवर निर्णय दिनांक 12.07.2011. [आर.टी.बी. (डी.बी.)] ।
- (xi) वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन राजस्थान वृत्त-तृतीय, जयपुर बनाम् मैसर्स रेकिट बेन्काईजर इण्डिया लिमिटेड, बी-139,रोड़ नम्बर-12, वी. के.आई.ए.,जयपुर अपील क्रमांक 2070 से 2073 / 2010 / जयपुर, 1305 से 1308 / 2010 / जयपुर निर्णय दिनांक 15.09.2011 [आर.टी.बी. (डी.बी.)] ।

(xii) मैसर्स परफेटी वानमेले इण्डिया प्रा.लि., जयपुर बनाम वा.क.अ. एन्टीइवेजन, जोन-तृतीय, जयपुर अपील क्रमांक 332 से 335 / 2011 / जयपुर निर्णय

दिनांक 19.07.2011 [आर.टी.बी. (डी.बी.)]

9. अतः व्यवहारी की सद्भावी बिक्री पर कर दर देयता के विवाद के आधार पर प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में, आरोपित शास्ति अविधिक होने से अपास्त योग्य है।

10. बहस के दौरान विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा कर निर्धारण अधिकारी एवं उपायुक्त (अपील्स) के अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए अपीलार्थी की बकाया मांग की वसूली स्थगित करने हेतु प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

11. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। इस संबंध में अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रत्यर्थी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ग्रहण किये गये क्षेत्राधिकार के संबंध में उठायी गयी आपत्ति का प्रश्न है, इस संबंध में आयुक्त, वाणिज्यिक कर, जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 3(ए)(9)/ज्यूरिस/कर/आयुक्त/2009/1066 दिनांक 30.11.2009 का अध्ययन किया गया जो इस प्रकार है:-

“राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 3 के अनुसरण में और इस विभाग की अधिसूचना संख्या दिनांक 01.04.1997 को अतिष्ठित करते हुये, मैं बी.एन.शर्मा आयुक्त, वाणिज्यिक कर यह अवधारित करता हूँ कि प्रतिकरापवंचन वृत्त में पदस्थापित समस्त सहायक आयुक्त/वाणिज्यिक कर अधिकारी, ऐसे व्यवहारियों पर अधिकारिता रखेंगे जिनके विरुद्ध कर के अपवंचन के या कर दायित्व को छिपाने के किसी मामले का जिसमें अधिसूचित कर दर के अनुसार कर का संदाय न करना या आगत कर का मुजरा गलत रूप से प्राप्त किया जाना भी सम्मिलित है, उस लेखा वर्ष के संबंध में जिससे कि ऐसा अपवंचन या छिपाया जाना संबंधित है, निर्धारण, शास्ति और ब्याज के संबंध में उनके द्वारा या उनके वृत्त में वाणिज्यिक कर निरीक्षक/कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी से अनिम्न स्तर के उनके अधिनस्थ किसी भी अधिकारी द्वारा पता लगाया गया हो, अधिकारिता रखेंगे”

उक्त परिपत्र के द्वारा आयुक्त, वाणिज्यिक कर, राजस्थान जयपुर द्वारा प्रतिकरापवंचन में पदस्थापित अधिकारी को नियमित निर्धारण आदेश पारित होने के पश्चात् भी उसी लेखा अवधि के संबंध में अभियोग दर्ज कर, मांग राशियां कायम करने की अधिकारिता प्रदान की गयी है। अतः उक्त परिपत्र के

आलोक में ही प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकार द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के विरुद्ध विधिक रूप से क्षेत्राधिकार ग्रहण कर, आलोच्य अवधियों के लिये मांग रशियां कायम की गयी है । फलस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा इस संबंध में प्रोद्धरित माननीय न्यायालयों के न्यायिक दृष्टांतों को सम्मान व्यक्त कर, उक्त उठायी गयी आपत्ति अस्वीकार की जाती है।

12 जहां तक हस्तगत प्रकरणों में अपीलार्थी द्वारा आलोच्य अवधियों के दौरान इलेक्ट्रिक मोटर्स की क्रेताओं के केपीटल गुड्स के रूप में वैट अधिनियम की अनुसूची IV की प्रविष्टि संख्या 27 के अनुसार 4 प्रतिशत की कर दर प्रभारित करते हुए बिक्री की गई है। अपीलार्थी द्वारा उपायुक्त (अपील्स) के समक्ष प्रथम अपील स्तर पर क्रेता व्यवहारियों की ओर से इस सम्बन्ध में जारी किये गये प्रमाण पत्रों की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई हैं। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रमाण पत्रों में से अधिकतर वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 27.8.2008 से पूर्व की अवधि से सम्बन्धित हैं। अतः इन प्रमाण पत्रों के आधार पर अपीलार्थी द्वारा विक्रय की गई इलेक्ट्रिक मोटर क्रेताओं के लिये केपीटल गुड्स होने एवं अधिसूचना दिनांक 27.8.2008 के अन्तर्गत क्रेताओं के उक्त इलेक्ट्रिक मोटर्स केपीटल गुड्स के रूप में रियायती दर से क्रय करने हेतु अधिकृत होना नहीं माना जा सकता।

13. उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन से पाया गया कि अतिरिक्त आयुक्त (विधि) वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा मैसर्स गुलाब आर्ट हैण्डिक्राफ्ट्स, जोधपुर के मामले में वैट अधिनियम की धारा 36 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 19.7.2008 से इलेक्ट्रिक मोटर को वैट अधिनियम की अनुसूची IV की प्रविष्टि संख्या 27 पर उल्लेखित केपीटल गुड्स की श्रेणी में नहीं आने का विनिश्चय किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा उल्लेखित न्यायिक दृष्टान्तों एवं रेकार्ड के आधार पर इन प्रकरणों में इलेक्ट्रिक मोटर के वर्गीकरण एवं इस पर उद्ग्रहणीय कर पूर्णतः विधिसम्मत एवम् उचित है । अतः निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित अंतर कर व अनुवर्ती ब्याज पूर्णतः विधिसम्मत एवम् उचित है जिनकी पुष्टि करने में अपीलार्थी अधिकारी द्वारा कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है । लिहाजा, उक्त बिन्दु पर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार की जाती है।


14. जहां तक अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्तियों का प्रश्न है, उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया । रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया । इस संबंध में रिकॉर्ड के परिशीलन से विदित होता है कि अपीलार्थी व्यवहारी ने विक्रय के समस्त संव्यवहारों को अपनी नियमित लेखा पुस्तकों में दर्ज कर, सद्भाविक रूप से विवरणियां प्रस्तुत की है जिनमें किसी प्रकार की विक्रय की विगत को छुपाया नहीं गया है। चूंकि हस्तगत अपीलों में कर दर


अपील संख्या - 1669, 1670 व 1671/2010/जयपुर

का बिन्दु विवादित है एवम् माननीय न्यायालयों द्वारा समान परिस्थितियों में, विक्रय संव्यवहारों के बहीयात में दर्ज होने तथा कर दर विवादित होने की दशा में, शास्ति आरोपण को विधि सम्मत होना नहीं माना गया है। अतः उपर्युक्त प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित विधि के आलोक में विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश उक्त बिन्दु पर विधिसम्मत एवम् उचित नहीं होने के कारण अपास्त किया जाता है व शास्तियों के बिन्दु पर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें स्वीकार की जाती हैं।

15. परिणामतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं।

16. निर्णय सुनाया गया।


20.2.14
(अमर सिंह)
सदस्य


20.2.2014
(मदन लाल)
सदस्य